न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 1033/दावा/2016
(पूर्व मि0नं0 1033/16)
दायरा 01.03.2013

उनवान

माफी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज विराजमान(अवयस्क) वाघेर जर्ये पुजारी
1. खेमराज पुत्र प्रभूदास जाति वैरागी निवासी वाघेर तह0 खानपुर
2. दीनदयाल पुत्र प्रभूदास जाति वैरागी निवासी वाघेर तह0 खानपुर

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर

– प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91आर.टी.एक्ट 1955, धारा 9 राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 व धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री लक्ष्मणसिंह चौहान एडवोकेट –वादी
पेराकार सरकार

निर्णय

दिनांक 20/08/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने जर्ये अधिवक्ता एक वाद धारा 88, 89, 90, 91आर.टी.एक्ट 1955, धारा 9 राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 व धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम वाघेर के माल की जमाबंदी सं0 2066–69 की खतौनी सं0 200 की ख0नं0 183 की 31.11 बीघा आराजी स्थित है जो माफी मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनाराण जी महाराज विराजमान गांव खातेदार के खाते दर्ज है। मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण जी की सेवा पूजा वादीगण के पूर्वज ही करते थे और वादीगण ही मंदिर मूर्ति लक्ष्मीनारायण जी की सेवा पूजा करते है। सं0 2004–07 की जमाबंदी में यह माफी मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनाराण जी महाराज विराजमान गांव व कब्जा खातेदार नंदादास बेटा सुखदास का जात वैरागी वास गांव के खाते दर्ज है। नंदादास फौत हो चुके हैं जिनके वारीसान पुत्री वालीबाई भी फौत हो चुकी है। वर्तमान में वादीगण ही इनके वारीस हैं जो मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे हैं। साबित ख0नं0 31 के हाल ख0नं0 183 रकबा 31.11 बीघा बने हैं। वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पूर्वजों का नाम पुजारी के रूप में खाते में दर्ज रहा है। वादीगण के पूर्वजों का नाम विरासत के रूप में पीढी दर पीढ़ी दर्ज होता चला आ रहा है किन्तु राजस्व विभाग ने परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में बिना किसी अधिकारिता के व बिना न्यायालय के आदेश के वादीगणके पूर्वजों का नाम उक्त राज्यादेश की आड़ में विलोपित कर दिया, वादीगण के पूर्वज आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं और मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे हैं व वर्तमान में वादी मंदिर मूर्ति लक्ष्मीनारायण जी की सेवा पूजा करते आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्थान सरकार ग्रुप 6 परिपत्र कमांक 3(2) राजस्थान/6/2007/14 दि0 24.05.2007 में जारी परिपत्र के पेरा नं0 5 में अंकित है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त हैं। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

नही है। राजस्व रेकार्ड मे ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप मे दर्ज रहेगा। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने भी दिनांक 24.05.2007 के परिपत्र की समुचित पालना के सन्दर्भ मे क्रमांक राज/4-63/न्याय/स्था/05/636-689 दि0 6.01.2010 जारी किया है जिसमे भूमि पर पुन पुजारी के खाते मे दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये है। राजस्थान सरकार राजस्व विभाग ग्रुप 6 परिपत्र क्रमांक प2(4)राज/4/90/37 दि0 13.12.1991 जो देव मंदिर मूर्ती की खातेदारी मे दर्ज पुजारी एव सेवायतो के संबध मे था। उक्त परिपत्र मे काश्तकारी/अधिकार रेकार्ड ऑफ टीनेंट राईट्स को किसी भी रूप मे प्रभावित नही करता किन्तु राजस्व विभाग ने बिना तथ्यो की जांच किये परिशीलन किये वादीगण के पूर्वजो का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया है। इस कारण वादीगण अपने नाम अभिलेख जमाबंदी रेकार्ड ऑफ राईट्स अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी है। ऐसी भूमि के संबध मे जो मंदिर माफी की थी के संबध मे राज. भूमि सुधार तथा जागीर पुनग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 मे प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रेकार्ड मे पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम दर्ज थे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। भूप्रबन्ध एवं समय समय पर राजस्व रेकार्ड संधारण मे रही त्रुटियो के कारण उक्त आराजी मे वादीगण के पूर्वजो का नाम हटाकर मंदिर का नाम दर्ज किया गया है जो विधि सम्मत नही है एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के सर्वथा विपरित है। वादीगण के पास इसके अलावा अन्य कोई भूमि खातेदारी मे दर्ज नही है जिससे वादीगण भूमिहीन व बेसहारा हो गये है। हमने प्रतिवादी को धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस भी दिया है किन्तु इनके द्वारा कोई सुनवाई नही की गई है। अत वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की डिक्री फरमायी जावे कि ग्राम बाघेर की खतौनी स0 200 की खस0न0 183 की 31.11 बीघा आराजी मे रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर मंदिर मूर्ती श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान के साथ वादीगण को भी पुजारी खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार खानपुर के नाम फरमाने की डिक्री जारी की जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे अता फरमायी जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाबदावा पेश कर वादी के वाद को अस्वीकार किया। वादी के वाद एव प्रतिवादी के जवाबदावा के अनुसार विवादित बिन्दुओ पर तनकीयात कायम की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन मे वादी खेमराज गवाह जगन्नाथ भीलदाकुर के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगा0 Exp5 प्रदर्श कराये गये। तत्पश्चात उभय पक्ष की सहमति से बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम बाघेर के माल की जमाबंदी स0 2066-69 की खतौनी स0 200 की ख0न0 183 की 31.11 बीघा आराजी स्थित है जो माफी मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज विराजमान गांव खातेदार के खाते दर्ज है। मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण जी की सेवा पूजा वादीगण के पूर्वज ही करते थे और हमारे पूर्वजो का वादग्रस्त आराजी मे पुजारी के रूप मे खाते मे नाम दर्ज था तथा पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत बतौर मंदिर की सेवा पूजा एव आराजी पर खातेदार कृषक के रूप मे काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व विभाग ने बिना किसी अधिकारिता के व बिना न्यायालय के आदेश के वादीगण के पूर्वजो का नाम राज्यादेश की आड मे विलोपित कर दिया, जबकि वादीगण के पूर्वज आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है और मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे है व वर्तमान मे वादीगण मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान की सेवा पूजा कर रहे है। इस संबध मे राजस्थान सरकार ग्रुप 6 परिपत्र क्रमाक 3(2) राजस्थान/6/2007/14 दि0 24.05.2007 मे जारी परिपत्र के पेरा न0 5 मे अंकित है कि जागीरो के अधिग्रहन के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमे उन काश्तकारो को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एव हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त हैं। ऐसी भूमियो को पुन मंदिरो के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नही है। राजस्व रेकार्ड मे ऐसे व्यक्तियो का नाम निरन्तर खातेदार के रूप मे दर्ज रहेगा। राजस्व मन्डल राजस्थान अजमेर ने भी दिनाक 24.05.2007 के परिपत्र की समुचित पालना के सन्दर्भ मे क्रमाक राज/4-63/न्याय/स्था/05/636-689 दि0 6.01.2010 जारी किया है जिसमे भूमि पर पुन पुजारी के खाते मे दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

है। राजस्थान सरकार राजस्व विभाग ग्रुप 6 परिपत्र क्रमांक प.2(4)राज/4/90/37 दि0 13.12.1991 जो देव मंदिर मूर्ति की खातेदारी मे दर्ज पुजारी एवं सेवारतो के संबंध मे था। उक्त परिपत्र मे काश्तकारी अधिकार रेकार्ड ऑफ टीनेट राईट्स को किसी भी रूप मे प्रमाणित नही करता किन्तु राजस्व विभाग ने बिना तथ्यो की जांच किये, परीक्षण किये वादीगण के पूर्वजो का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया है। ऐसी भूमि के संबंध मे जो मंदिर माफी की थी के संबंध मे राज. भूमि सुधार तथा जागीर पुनःग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 मे प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रेकार्ड मे पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम दर्ज थे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। भूप्रबन्ध एवं समय समय पर राजस्व रेकार्ड संधारण मे रही त्रुटियों के कारण उक्त आराजी से वादीगण के पूर्वजो का नाम हटाकर मंदिर का नाम दर्ज किया गया है जो विधि सम्मत नही है एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत है। हमने अपने वाद को पुराने राजस्व रेकार्ड एवं गवाहान के बयान कराकर साबित कराया है। अतः हमारा दावा डिक्री किया जाकर ग्राम बाघेर की खतौनी सं0 200 की ख0नं0 183 की 31.11 बीघा आराजी मे रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर मंदिर मूर्ति श्री सांवलनाथ जी विराजमान के साथ वादीगण को रेकार्ड मे पुजारी दर्ज किया जावे।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रकट किया कि हमारा जवाब ही बहस है। वादी स्वंय अपने वाद को साबित करें।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादीगण ग्राम बाघेर के माल की जमाबंदी सं0 2066-69 की खतौनी सं0 200 की ख0नं0 183 की 31.011 बीघा आराजी स्थित है जो मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज विराजमान गांव खातेदार के खाते दर्ज है। वादी ने परिपत्र राजस्थान सरकार ग्रुप 6 परिपत्र क्रमांक 3(2) राजस्थान/6/2007/14 दि0 24.05.2007, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र दिनांक 24.05.2007, क्रमांक राज/4-63/न्याय/स्था/05/ 636-689 दि0 6.01.2010 व राजस्थान सरकार राजस्व विभाग ग्रुप 6 परिपत्र क्रमांक प.2(4)राज/4 /90/37 दि0 13.12.1991, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज-6/07/19 दि0 25.11.11 के आधार पर जमाबंदी में मूर्ति मंदिर श्री सांवलनाथ जी के साथ साथ पुजारी का नाम दर्ज करने का यह वाद पेश किया है। इन सभी परिपत्रों में कहीं भी यह उल्लेख नही है कि मूर्ति मंदिर के खाते की आराजियात में मूर्ति के साथ-साथ पुजारी का नाम अंकित किया जावे। यहां हम पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दलीलों से सहमत हैं। चूँकि मूर्ति शासवत नाबालिग है तथा नाबालिग के हितों की सुरक्षा किये जाने का दायित्व न्यायालय का भी है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी अपने वाद को साबित करने में विफल रहा है। ऐसे में वादी का वाद खारिज होने योग्य है।

अतः वाद, वादी साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 20/08/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner